चतुर्दश माला, खंड 1, अंक 7

गुरुवार, 10 जून, 2004
20 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

FOR REFERENCE ONLY

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 1 में अंक 1 से 7 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 57
Dated 3/2/05
लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला खंड 1, पहला सत्र, 2004/1926 (शक)

अंक 7, गुरुवार, 10 जून, 2004/20 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2-4
लोक सभा सदस्य (आस्तियों और दायित्वों की घोषणा) नियम	5
नियम 377 के अधीन मामले	5
(एक) जूट उत्पादकों और जूट उद्योग के हित में सरकार द्वारा अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों में कमी किए जाने के हाल के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता श्रीमती मिनाती सेन	6
(दो) पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड, को फिर से चालू किए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता श्री सुनील खां	7
(तीन) छोटे और मध्यम आकार की जोत वाले किसानों के ऋणों और ब्याज को माफ करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता श्री सुखराम सुधाकर रेड्डी	7-8
(चार) पांडिचेरी में स्वदेशी कॉटन मिल को बंद किए जाने का प्रस्ताव वापस लिए जाने की आवश्यकता प्रो. एम. रामदास	8
(पांच) असम में गैस आधारित पेट्रो केमिकल्स कॉम्प्लेक्स की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता श्री सर्वानन्द सोनोवाल	8-9
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—स्वीकृत	9-10
डा. मनमोहन सिंह	10
विदाई उल्लेख	11
अध्यक्ष महोदय	11
राष्ट्र गीत	12

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री गिरिधर गमांग

श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

---

*राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया :

"मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत का राष्ट्रपति।"

लोक सभा

गुरुवार, 10 जून, 2004/20 ज्येष्ठ, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व साथी श्री फजलुर रहमान के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री फजलुर रहमान ने 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा में बिहार के बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री फजलुर रहमान 1952 से 1976 तक बिहार राज्य विधानमंडल के सदस्य रहे।

एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता, श्री फजलुर रहमान ने स्वयं को स्वतंत्रता पूर्व से ही जनसेवा के प्रति समर्पित किया। देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1942-45 के दौरान जेल जाना पड़ा था।

श्री रहमान व्यवसाय से किसान थे तथा वह बिहार सरकार के लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और चीनी जांच आयोग के सदस्य रहे।

एक कुशल सांसद और प्रशासक, श्री रहमान जुलाई से अगस्त, 1977 तक लोक सभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। वह अगस्त, 1977 से जनवरी, 1979 तक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; जनवरी, 1979 से जुलाई, 1979 तक योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री; और जुलाई 1979 से जनवरी, 1980 तक वक्फ के अतिरिक्त प्रभार के साथ-साथ श्रम मंत्री भी रहे।

श्री फजलुर रहमान का निधन 16 मार्च, 2004 को बिहार के पश्चिम चम्पारण में 86 वर्ष की आयु में हुआ। मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना प्रकट करने में सभा मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.1½ बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड और शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। (ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 44/04)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। (ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 45/04)

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): महोदय, मैं श्री हंस राज भारद्वाज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) भारतीय संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल०टी० 46/04]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 47/04]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): महोदय, मैं श्री प्रफुल्ल पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं—

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 48/04]

(ख) (एक) एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 49/04]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 50/04]

(ख) (एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 51/04]

(ग) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 52/04]

(घ) (एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1995-1996 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1995-1996 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 53/04]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226(अ) जो 28 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उर्वरक (नियंत्रण आदेश), 1985 को एक विशेष आदेश के रूप में घोषित किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 54/04]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन नियम, 2003, जो 22 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 959(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 55/04]

पूर्वाह्न 11.03 बजे

लोक सभा सदस्य (आस्तियों और दायित्वों की घोषणा), नियम

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क की उपधारा (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा बनाए गए लोक सभा सदस्य (आस्तियों और दायित्वों की घोषणा) नियम 2004 के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, नियम 377 के अधीन मामले।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, हमने दागी मंत्रियों का जो मामला उठाया हुआ है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, भारत के संविधान...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सदन के नेता से अनुरोध करता हूं कि वह अपने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने के लिए कहें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं विपक्ष के नेता से मदद करने का अनुरोध कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री महादेव राव सुकाजी शिवन्कर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अविनाश राय खन्ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री योगी आदित्य नाथ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब अध्यक्षपीठ बोल रहे है तो कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय कुमार मल्होत्रा, मैं आप से और सभी वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मिनाती सेन।

...(व्यवधान)

(एक) जूट उत्पादकों और जूट उद्योग के हित में सरकार द्वारा अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदंडों में कमी किए जाने के हाल के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): महोदय, मुझे मेरे विषय का मुद्रित पाठ प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए आपकी अनुमति से मैं इसे सभापटल पर रखती हूं...*(व्यवधान)*

* मैं इस माननीय सदन का ध्यान जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के अधीन खाद्यान्नों और चीनी के अनिवार्य पैकेजिंग मानदण्डों में कमी किए जाने के कारण मिलों और जूट उत्पादकों पर अचानक पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की ओर दिलाना चाहती हूं।

खाद्यान्न और चीनी के लिए जूट उत्पादों का अधिक उपयोग होता है जबकि आरक्षण आदेश में थोड़ी सी ढिलाई से जूट उद्योग का अन्त शुरू हो जाएगा। जूट उत्पादों के बाजारों में परिणामी क्षति से कई पटसन मिलें बंद हो जाएंगी। इस स्थिति में न केवल पूरी जूट अर्थव्यवस्था की बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल की भी तबाही होगी।

पश्चिम बंगाल में लगभग दस जूट मिलें पहले ही बन्द हो गई है जिससे 35,000 से 40,000 कर्मकार बेरोजगार हो गए हैं। नयी लोकसभा के चुनाव के पश्चात् भी पश्चिम बंगाल में तीन जूट मिलें बन्द हो गई हैं।

मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह अनिवार्य जूट पैकेजिंग मानदण्डों में ढिलाई बरतने को रोकने के लिए प्रभावी और सकरात्मक उपाय करने पर विचार करे ताकि जूट उद्योग, इसके कर्मकारों और जूट उत्पादकों के हितों को जोखिम में न डाला जा सके।

---

* सभा पटल पर रखा माना गया।

(दो) **पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड को फिर से चालू किए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान दुर्गापुर स्थित भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लिमिटेड की समस्याओं की ओर पुन: आकृष्ट करता हूं यद्यपि यह रक्षा विभाग के लिए फ्लिंट, प्रिज्म और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के लिए प्रयुक्त किए जा रहे रक्षक (प्रोटेक्टर) ग्लास बनाने वाला एक प्रमुख भारतीय संगठन है जो आयतित फ्लिंट पर शुल्क में कमी किए जाने के कारण रुग्ण हो गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील खां के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री सुनील खां: फिर भी बी.ए.आर.सी. के लिए और रक्षक ग्लास की रक्षा विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह संस्था सक्षम है। इस समय वहां केवल 200 कर्मकार ही हैं। बिजली की आपूर्ति बहाल करने और कर्मकारों को जनवरी 2004 से अब तक के वेतन का भुगतान करने के लिए 3 करोड़ रुपये की सहायता की आवश्यकता है। संयंत्र को पुन: चालू करने के लिए मात्र 30 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। लेकिन सबसे अधिक जरूरी है कि ग्लास प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता प्राप्त पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक को तैनात किया जाए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राज बब्बर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी।

...(व्यवधान)

(तीन) **छोटे और मध्यम आकार की जोत वाले किसानों के ऋणों और ब्याज को माफ करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता**

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, आन्ध्र प्रदेश में भारी ऋण के कारण बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने आत्म हत्याएं की हैं। पिछले चार वर्षों से आन्ध्र प्रदेश के कई भागों में सूखा एवं अकाल पड़ा है। उपज के लिए लाभकारी मूल्य की व्यवस्था नहीं है। बैंकों तथा सहकारी समितियों के जरिए संस्थागत ऋण किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कृषि निवेश के लिए किसान वर्ग की केवल 25 प्रतिशत आवश्यकताएं ही बैंकों एवं सहकारी समितियों द्वारा पूरी की जा सकती हैं। किसान निजी ऋण लेने को बाध्य होते हैं जिसके लिए ब्याज की दरें हद से ज्यादा हैं।

नई राज्य सरकार ने आत्म हत्या कर चुके किसानों के परिवारों को रु. 1.50 लाख सानुग्रह राशि देने की घोषणा की है। यह एक अच्छा कार्य है लेकिन इससे किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति नहीं मिलेगी। इन परिस्थितियों में छोटे एवं मझौले किसानों का ऋण एवं ब्याज माफ करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को समर्थ बनाने के लिए केन्द्र सरकार को 1000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसानों को निवेश के लिए नए ऋण दिये जाने चाहिएं।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस मामले पर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय: श्री एम. रामदास

...(व्यवधान)

(चार) **पांडिचेरी में स्वदेशी कॉटन मिल को बंद किए जाने का प्रस्ताव वापस लिए जाने की आवश्यकता**

***प्रो. एम. रामदास** (पांडिचेरी): फ्रांसीसी प्रशासन द्वारा स्थापित स्वदेशी कॉटन मिल संघ राज्य-क्षेत्र पांडिचेरी की प्राचीन कपड़ा मिलों में से एक है। अब एन.टी.सी. जो स्वदेशी कॉटन मिल का प्रबन्धन देख रही है, इसे घाटे में चलने के आधार पर बन्द करने का प्रस्ताव कर रही है। यह प्रस्ताव बुरी संकल्पना है तथा इससे इस मिल पर आश्रित कई श्रमिकों की जीविका प्रभावित होगी। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि पांडिचेरी सरकार ने पांडिचेरी कपड़ा निगम का सृजन कर लिया है जो एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल्स का प्रबन्धन देख रही है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्वदेशी-कॉटन मिल को बन्द करने के बजाय इसका पांडिचेरी कपड़ा निगम में विलय कर दिया जाए।

माननीय कपड़ा मंत्री से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय कपड़ा निगम को पांडिचेरी में स्वदेशी कॉटन मिल, को बंद न करने के लिए कहें।

(पांच) **असम में गैस आधारित पेट्रो केमिकल्स कॉम्प्लेक्स की शीघ्र स्थापना किए जाने की आवश्यकता**

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): मैं सरकार का ध्यान असम समझौते के खण्ड 7 के तहत असम में स्थापित किये जाने वाले गैस आधारित पेट्रो-केमिकल्स कॉम्पलेक्स के बारे आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किया था। असम औद्योगिक विकास निगम ने आर.ए.पी.एल. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे। यह प्रसंगानुकूल है कि 24 नवम्बर, 1994 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव ने परियोजना की आधारशिला रखी, इसके बाद डिब्रूगढ़ जिला प्रशासन ने टेंगाखाट में आवश्यक जमीन का अधिग्रहण किया। इसके बाद तकनीकी कारणों से लेपेटकाटा नामक स्थान पर ले जाया गया। भूमि सौंपे जाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं। लेकिन, अभी तक कुछ नहीं हो पाया है तथा प्रतिवर्ष भारी मात्रा में एसोसिएटेड गैस बर्बाद हो रही है।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* सभा पटल पर रखा माना गया।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से परियोजना तुरन्त शुरू करने के लिए ठोस कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। यदि प्रोत्साहक आर.ए.पी.एल. अपनी असंगत मांगों के बहाने अनिच्छुक है तो परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र में शुरू की जानी चाहिए।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया अपने स्वीकृत स्थान पर बैठ जाइए। अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आते हैं। वाद-विवाद पूरा हो चुका है। अब, मैं माननीय प्रधानमंत्री से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री ने इसके लिए अनुरोध किया है। इसलिए कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, हमें न्याय चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस मुद्दे पर बहस कर चुके हैं तथा मुझे खुशी है कि कुछ सहमति बनी हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से शांत रहने का अनुरोध है चूंकि मैं पहले ही माननीय प्रधानमंत्री को बुला चुका हूं। आप सभी से अपील है कृपया थोड़ा तो सम्मान करें। हां, माननीय प्रधानमंत्री, कृपया बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, कृपया अपने को नियंत्रित करें। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा में इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव, कृपया बैठ जाइए। अब, कृपया माननीय प्रधानमंत्री को बोलने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात अथवा की गई टिप्पणी के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि दोनों पक्षों के राजनीतिक दलों में सहमति बनी है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सीधे मतदान के लिए रखा जाए और सर्वसम्मति से पारित किया जाए। अत:, महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाए।

मैं इस अवसर पर लोक सभा के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखा जाए और आशा करता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य किसी संशोधन विशेष को अलग से मतदान के लिए नहीं रखना चाहेगा।

अब, मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सभा के मतदान के लिए एक सरल प्रश्न भी नहीं रखने देंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में कुछ कार्य होना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप पिछले चार दिन से यहां क्या कर रहे थे? इस देश की जनता आपके बारे में क्या कह रही है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं

प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये:—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 7 जून, 2004 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, नयी सरकार के गठन के साथ 2 जून, 2004 से आरंभ हुए चौदहवीं लोक सभा के प्रथम सत्र का आज समापन हो रहा है।

सुस्थापित परम्परा के अनुसार, नयी सभा के प्रथम सत्र का शुभारंभ, अवसर के महत्व को देखते हुए कुछ क्षणों के मौन के साथ हुआ। तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ ने नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। 538 सदस्यों ने सत्र के दौरान शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया।

4 जून, 2004 को अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव पर विचार हुआ। अध्यक्ष के पद पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से चुने जाने पर मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरे सहयोगी, श्री चरणजीत सिंह अटवाल भी 9 जून, 2004 को उपाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए। मैं उनकी नियुक्ति पर उन्हें पुन: बधाई देता हूं। हम इस सदन की चर्चाओं की अध्यक्षता सर्वोत्तम तरीके से करने का प्रयास करेंगे।

सदन ने, 7 जून, 2004 को दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष दिए गए माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को भी आज स्वीकार किया।

मैं अपने सहयोगी श्री बालासाहिब विखे पाटील, श्री गिरिधर गमांग और श्री मानवेन्द्र शाह को, आवश्यकता पड़ने पर सभा की अध्यक्षता की जिम्मेदारी बांटने के लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्य अब खड़े हो जाएं क्योंकि **'वंदे मातरम्'** की धुन बजाई जाएगी।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

राष्ट्र गीत

राष्ट्र गीत की धुन बजाई गई

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।